

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(211)वित्त-1(1)आय.व्य./2013

जयपुर, दिनांक : 24-3-15

-: आज्ञा :-

निर्देशानुसार यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत उप शासन सचिव, जल संसाधन विभाग की आज्ञा क्रमांक F/SWRPD/Accts/EUSPP/2014-15/1164 दिनांक 17.03.2015 में वर्णित गतिविधियों के लिए निम्नानुसार विभागीय अधिकारियों को बजट शीर्ष के रागने अद्विक्त राशि की सीमा तक व्यय हेतु आहरण वितरण अधिकारी के अधिकार निम्न शर्तों पर प्रदत्त किये जाते हैं।

क्र.स.	विभाग का नाम	बजट शीर्ष (आयोजना)	राशि (लाखों में)	कोष कार्यालय
1	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ग्रामीण) जयपुर	4702-00-800-(09)-[01]-62	30.00	जिलाकोष जयपुर
2	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ग्रामीण) जयपुर	2702-01-800-(05)-[01]-57	210.10	जिलाकोष जयपुर
	उप योग		240.10	
3	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	2702-01-800-(05)-[01]-29	1.50	जोधपुर शहर
4	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	4702-800-(09)-[01]-17	26.00	जोधपुर शहर
5	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	4702-796-(01)-[03]-17	404.00	जोधपुर शहर
	उप योग		431.50	
6	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	2702-01-800-(05)-[01]-57	110.00	सचिवालय कोष जयपुर
7	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	4702-00-800-(09)-[01]-17	9.20	सचिवालय कोष जयपुर
	उप योग		119.20	
8	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर	2702-01-789-(01)-[01]-08	14.00	सचिवालय कोष जयपुर
9	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर	2702-01-796-(01)-[01]-29	75.00	सचिवालय कोष जयपुर
10	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर	4702-00-800-(09)-[01]-17	400.00	सचिवालय कोष जयपुर
	उप योग		489.00	
	महा योग		1279.80	

उक्त राशि के मासिक व्यय संबंधी सूचना उक्त सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्य अभियन्ता, एस. डब्ल्यू. आर. पी. डी. विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की जावे। उक्त बजट शीर्षों में किये जाने वाले व्यय के अंक मिलान का दायित्व मुख्य अभियन्ता, एस. डब्ल्यू. आर. पी. डी. विभाग, राजस्थान, जयपुर का होगा।

भवदीय,

(एम. एल. आचार्य)
उपशासन सचिव, (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. प्रधान महालेखाकार, कार्यालय (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. संयुक्त, वित्त(व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग(ग्रामीण) जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय/जिला कोष, जयपुर/जोधपुर शहर।
11. सहायक, शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

उप शासन सचिव (बजट)